फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी / अपीलांट **बनाम** **अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट**

श्री धीरेन्द्रसिंह
निवासी रामदेव मन्दिर के वास
वार्ड नं. 03 पिण्डवाडा
जिला सिरोही।

सरकार जरिये सहायक लोक सूचना अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी आबूरोड

किस्म मुकदमा– **अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005** मुकदमा नं. 18 वर्ष 2026

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
24.02.2026	अपीलांट ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नही कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई। अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी आबूरोड को एक ऑनलाईन आवेदन दिनांक 29.10.2025 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि श्री रामावतार मीणा पुत्र श्री बोदनराम मीणा निवासी मानपुर पॉवर हाउस के पीछे, दानवाव, आबूरोड जो कि वर्तमान में राजस्थान पुलिस में उपनिरीक्षक के पद पर उदयपुर जिले के पुलिस थाना ओगणा में पदस्थापित है। उक्त कार्मिक के मूल निवास प्रमाण पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति एवं प्रमाण पत्र की संख्या, जारी करने की दिनांक, जारी करने वाला प्राधिकरण और सत्यापन स्थिति से सम्बन्धित सूचना सहायक लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नही कराई गई हैं। मैने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया गया कि अपीलांट द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10/– जमा करा दिए है। अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी आबूरोड को एक ऑनलाईन आवेदन दिनांक 29.10.2025 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि श्री रामावतार मीणा पुत्र श्री बोदनराम मीणा निवासी मानपुर पॉवर हाउस के पीछे, दानवाव, आबूरोड जो कि वर्तमान में राजस्थान पुलिस में उपनिरीक्षक के पद पर उदयपुर जिले के पुलिस थाना ओगणा में पदस्थापित है। उक्त कार्मिक के मूल निवास प्रमाण पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति एवं प्रमाण पत्र की संख्या, जारी करने की दिनांक, जारी करने वाला प्राधिकरण और सत्यापन स्थिति से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। पत्रावली के अवलोकन से यह पाया जाता है कि अपीलांट द्वारा मांगी गई उपरोक्त सूचना सहायक लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी आबूरोड द्वारा उपलब्ध नहीं करवाई गई है। अतः ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर सहायक लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी आबूरोड को आदेशित किया जाता है कि अपीलांट द्वारा चाही गई समस्त सूचना तत्काल नियमानुसार उपलब्ध करावें। यदि सूचना दिया जाना नियमों में संभव नहीं हो तो स्पेसीफिक आदेश पारित कर अपीलांट को सूचित करें। निर्णय सर–ए–इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। (अल्पा चौधरी) **जिला कलक्टर, सिरोही**	